कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

अंतिम तिथि 31.10.07

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र. के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को ''व्यावसायिक शिक्षा'' के लिये छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की योजना वर्ष 2007–2008

शिक्षा सत्र 2007–08 के लिये उपर्युक्त श्रेणी के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन के लिये ''100'' छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाने के लिये निम्नलिखित पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31.10.07 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है–

(1) पात्रताः–

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।
2. केवल वे ही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष 2006–07 में हाई स्कूल/हायरसेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों । (हाईस्कूल) (10वीं) हायर सेकेन्डरी (10+2)
4. भूमिहीन कृषक मजदूर के पुत्र/पुत्री हों, जिसका प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो ।
5. छात्र/छात्राओं के पालकों को आय सीमा रूपये 25,000/–(रू.पच्चीस हजार मात्र) वार्षिक से अधिक न हो । इस हेतु आय प्रमाण पत्र तहसीलदार का मान्य किया जायेगा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो ।

नोट :–

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा से संबंधित निम्न पाठ्यक्रम/संकाय सम्मिलित है :–

1– पालिटेक्निक
2– इंजीनियरिंग–बी.ई.
3– चिकित्सा शिक्षा (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.डी.एस.)
4– पैरामेडिकल कोर्स (चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत)
5– कृषि इंजिनियरिंग (बी.ई.ए.जी., डी.ई.ए.जी.)
6– बी.एस.सी. (नर्सिगं)
7– सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे हो, जैसेः– बी.लिब., बी.एड., बी.पी.एड., बी.ए.एल.एल.बी., आदि ।

(2) **छात्रवृत्ति की राशिः–**

इसके अन्तर्गत विद्यार्थीयों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु प्रति वर्ष **2,500/–(दो हजार पांच सौ मात्र)**की छात्रवृत्ति देय होगी ।

ये छात्रवृत्ति चयनित छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्राप्त होगी अर्थात स्नातक अंतिम वर्ष तक प्रदाय की जायेगी ।

//2//

(3) **चयनः—**

इस छात्रवृत्ति का चयन एक समिति द्वारा केवल छात्रवृत्ति को समय सीमा में योग्यता के आधार पर अर्थात मेरिट के आधार पर उस वर्ष की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से ही किया जावेगा ।

(4) **नवीनीकरण :—**

विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक कार्य निष्पादन, संतोषजनक प्रगति एवं आचरण नियमित उपस्थिति तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद समुचित प्रतिपूर्ति के आधार पर संस्था प्रमुख द्वारा नवीनीकरण किया जायेगा । बजट की मांग संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश से संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।

(5) **अन्य शर्ते :—**

छात्रवृत्ति धारक जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है । उसके लिए अन्य कोई छात्रवृत्ति अथवा बजीफा प्राप्त नहीं करेंगा । यदि ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही होगी, तो उसे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए ऐसी छात्रवृत्ति छोड़ना पडेगी, अर्थात एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी ।

समुचित प्रतिपूर्ति के बाद आवेदन —पत्र इस कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (छात्रवृत्ति) के नाम से दिनांक 31.10.2007 तक प्राप्त हो जाना चाहिए । उक्त दिनांक के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आयुक्त/उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित

(डॉ. अलकनन्दा पलनीटकर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

//3//

मध्यप्रदेश के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2007–08

अंतिम तिथि 31.10.07

फोटो प्राचार्य द्वारा प्रमाणित

1. विद्यार्थी का पूरा नामः...
2. महाविद्यालय / संस्था जिसमें प्रवेश लिया हो ....
3. कक्षा जिसमें प्रवेश लिया हो ....
4. पिता / अभिभावक का पूरा नाम...
5. व्यवसाय ....
6. माता / पिता / अभिभावक की समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय..........
   (नोटरी / कलेक्टर / तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करे)
7. जिस संस्था में अध्ययन किया हो उसके ब्यौरे (सत्यापित अंक सूची संलग्न करें)

कमांक	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुकमांक	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. भूमिहीन कृषि श्रमिक के पुत्र / पुत्री होने का प्रमाणपत्र जो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो ।
9. (क) उस संस्था / महाविद्यालय का नाम जिसमें शिक्षा सत्र 2007–08 के लिए प्रवेश लिया हो – ....
   (ख) आवेदक के प्रवेश की तिथि ....
   (ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश लिया हो । ....
   (घ) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि (इस हेतु प्राचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
10. मैं एतद् द्वारा यह घोषित करता / करती हूं कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण सही है ।

मैं यह भी घोषित करता / करती हूं कि यदि आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया गया तो सम्पूर्ण समय अध्ययन में लगाउंगा, और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोत से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः–दिनांकः–

महाविद्यालय / संस्था प्रमुख का प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0.. को दिनांक ....जो कक्षा ....में नियमित / पूर्णकालिक छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया था और उसका अध्ययन जारी है । मैंने इस फार्म की प्रविष्ठियों की जांच कर ली है वे सही है ।

2. विद्यार्थी द्वारा जिस पाठ्यक्रम में अध्ययन किया जा रहा है वह व्यावसायिक पाठ्यक्रम है ।

3. इस संस्था में प्रवेश के लिए छात्र द्वारा उसके आवेदन पत्र पर मैं भी यह प्रमाणित करता हूं कि उसने इसके पहले किसी भी विध्वंसक कार्यवाही जिसमें हड़ताल भी शामिल है, मै भाग नहीं लिया है , और उसका आचरण अच्छा है ।

संलग्न सहपत्रों की संख्या :—

महाविद्यालय / संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील